राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/ 1373 दिनांक : 27.10.2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. कलाराम पुत्र लाधुराम वगैरा 16, जाति जाट, निवासी खोखसर दक्षिण, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. रूपाराम पुत्र लालाराम वगैरा 08, जाति जाट, निवासी खोखसर दक्षिण, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 81/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – खोखर दक्षिण, पटवार मण्डल – खोखर पश्चिम, तहसील – गिड़ा के खेत खसरा नं. 1708, 1816/1708 रकबा क्रमशः 9.09, 1.04 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा करांकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर
दिनांक : 27.10.2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 1374–1378

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खोखर पश्चिम को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कलाराम पुत्र लाधुराम वगैरा 16,
4. विप्रार्थी श्री रूपाराम पुत्र लालाराम वगैरा 08,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.21 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested